## कार्यालय–अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्रांक–2709 /FP/UK/ROAD/9756/2015 :देहरादून:दिनांकः 14 मार्च, 2016

सेवा में,

अपर सचिव,
वन एवं पर्यावरण अनुभाग–4,
उत्तराखण्ड शासन।

**विषयः–जनपद–उत्तरकाशी में किराणू–धूनियारा–थौरिण्डाधार मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 3.533 हे0 वन भूमि का गैर वाकिनी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।**

**संदर्भः–शासन की पत्र संख्या–421/X-4-15/1(224)/2015 दिनॉक 01–07–2015.**

महोदय,

कृपया राज्य सरकार के उपरोक्त सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विषयांकित प्रकरण में कतिपय शर्तों के अधीन सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गई है। प्रश्नगत मोटर मार्ग की धनराशि आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से जमा करायी गयी थी, जिसका ऑन लाईन पोर्टल पर (Paid) प्रदर्शित हो रहा है। उल्लेखनीय है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति में उल्लिखित अन्य शर्तों की अनुपालन आख्या इस कार्यालय के पत्रांक 1792 दिनांक 18–12–2015 के द्वारा ऑफ लाईन शासन को पूर्व में ही प्रेषित की गयी है। **(प्रति संलग्न)** उक्त अनुपालन आख्या ऑन लाईन भी प्रेषित की गयी है।

अतः अनुरोध है कि विषयाँकित प्रकरण पर वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत विधिवत स्वीकृति प्रदान करने का कष्ट करें।

***संलग्नः–यथोपरि।***

भवदीय,

(एस0टी0एस0 लेप्चा)
प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी

कार्यालय—अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्रांक—1792/FP/UK/ROAD/9756/2015 :देहरादून:दिनांकः 18 दिसम्बर, 2015

सेवा में,

अपर सचिव,
वन एवं पर्यावरण अनुभाग—4,
उत्तराखण्ड शासन।

विषयः—जनपद—उत्तरकाशी में किराणू—धूनियारा—थौरिण्डयाधार मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 3.533 हे0 वन भूमि का गैर वाकिनी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

संदर्भः—शासन की पत्र संख्या—421/X-4-15/1(224)/2015 दिनॉक 01—07—2015.

महोदय,

कृपया राज्य सरकार के उपरोक्त सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विषयांकित प्रकरण में कतिपय शर्तों के अधीन सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गई है। राज्य सरकार द्वारा जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति पत्र में उल्लिखित शर्तों की अनुपालन आख्या निम्नानुसार प्रेषित की जा रही है :—

1. शर्त संख्या—1 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रत्यावर्तित भूमि के बदले प्रस्तावित 7.066 हे0 सिविल एवं सोयम भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रख—रखाव देय धनराशि रू0 10,10,438.00 (रू0 दस लाख दस हजार चार सौ अढतीस) मात्र वन विभाग के पक्ष में जमा कर दी गयी है। जिलाधिकारी, उत्तरकाशी के आदेश संख्या—2280/वनभूमि दिनांक 31—10—2015 के द्वारा क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चिन्हित ग्राम—किराणू, तहसील—मोरी, जिला—उत्तरकाशी में 7.066 हे0 सिविल एवं सोयम वन भूमि वन विभाग के पक्ष में नामान्तरित/हस्तान्तरित कर दी गयी है। **(संलग्नक—1)**

2. शर्त संख्या—2 के अनुपालन में प्रस्तावित मार्ग के दोनों ओर रिक्त पड़े स्थानों पर वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रख—रखाव हेतु रू0 7,85,110.00 (रू0 सात लाख पिचासी हजार एक सौ दस) मात्र की धनराशि वन विभाग के पक्ष में जमा कर दी गयी है।

3. शर्त संख्या—3 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा रू0 23,21,181.00 (रू0 तेइस लाख ईकीस हजार एक सौ इकासी) मात्र एन0पी0वी0 की देय धनराशि वन विभाग के पक्ष में जमा करा दी गयी है।

4. शर्त संख्या—4 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा इस आशय का प्रमाण पत्र दिया गया है कि यदि भविष्य में एन0पी0वी0 की दरों में बढ़ोत्तरी होती है तो बढ़ी हुई दर की धनराशि प्रयोक्त एजेन्सी के द्वारा वन विभाग के पक्ष में जमा करायी जायेगी। **(संलग्नक—2)**

5. शर्त संख्या—5 व 6 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उक्त मदो में देय धनराशि रू0 41,16,729.00 (इकतालिस लाख सौलह हजार सात सौ उन्नतीस) मात्र को RTGS के माध्यम से Compensatory Afforestation Fund, (CAF) Uttaranchal SB A/C No. 037100101025229 कारपोरेशन बैंक, लोधी शाखा, नई दिल्ली में जमा कर दिया गया है, जिसका RTGS नं0 SBIN815307471700 दिनांक 02—05—2015 है। **(संलग्नक—3)**

6. शर्त संख्या—7 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा इस आशय का प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया गया है कि जनपद—कार्यबल की संस्तुतियों एवं भू—वैज्ञानिक के सुझावों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा। **(संलग्नक—4)**

7. शर्त संख्या–8 के अनुपालन में वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत आवश्यक अभिलेख / प्रमाण पत्र प्रस्ताव में पूर्व में ही संलग्न हैं। (संलग्नक–5)

अतः अनुरोध है कि विषयाँकित प्रकरण पर वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत विधिवत स्वीकृति प्रदान करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(एस0टी0एस0 लेप्चा)
अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी

संख्या :– 1792 /FP/UK/ROAD/9756/2015 दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. जिलाधिकारी, जनपद–उत्तरकाशी।
2. प्रभागीय वनाधिकारी, टोन्स वन प्रभाग, पुरोला, उत्तरकाशी।
3. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, पुरोला, उत्तरकाशी।

(एस0टी0एस0 लेप्चा)
अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी

0/c

# कार्यालय, उप वन संरक्षक, टौंस वन प्रभाग, पुरोला (उत्त

E-mail-dfo_tons@yahoo.co.in.Phone/Fax-01373-223328

पत्रांक 1602 /12-1 पुरोला, दिनांक, 1-12

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
वन भूमि हस्तान्तरण इन्दिरा नगर,
फॉरेस्ट कालोनी,
देहरादून।

विषय :- जनपद उत्तरकाशी के विकासखण्ड, मोरी में किराणू-घुनियारा-थौरिण्डाधार मोटर ... हे0 आरक्षित एवं सिविल वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लो0नि0वि0 को प्र... सम्बन्ध में।

सन्दर्भ :- अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड,लो0नि0वि0, पुरोला,उत्तराकाशी के पत्रांक 1990/ 05.11.2015 व आपके कार्यालय का पत्रांक 214/एफ0पी0/यू0के0/रोड/9756/ जुलाई 2015।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र द्वारा सैद्वान्तिक स्वीकृति में अविरोपित शर्तों का ... निम्न प्रकार है :-

1. **शर्त सं0-1** के अनुपालन में जिलाधिकारी, उत्तरकाशी का वन विभाग के पक्ष में 7.066है0 ... का नामान्तरण/हस्तान्तरण आदेश एवं नकल खतौनी की मूल प्रति अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित की है **(संलग्न-छायाप्रति)**। सिविल एवं सोयम भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण ... रख-रखाव करने हेतु 10,10,438.00 Pay order Number C.N.43063576 Dated 3.11.2015 Uttarkahand 037100101025229 New Delhi Lodhi Complex/Corporation Bank/Corp 000... किया गया है **(संलग्न-छायाप्रति)**। क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु वन क्षेत्राधिकारी, कोटीगाड़ ... प्रमाण पत्र दिये जाने बावत इस कार्यालय के पत्रांक सं0 1383/12-1 दिनांक 3.11.20... था। उन्होनें अपने पत्रांक 123/12-1 दिनांक 28.11.2015 के द्वारा इस कार्यालय को अव... क्षेत्र उपयुक्त पाया गया।
2. **शर्त सं0-2** के अनुपालन में 7,85,110.00 सम्बन्धित कोष में E-Pay order Number C.N. 3.11.2015 के द्वारा जमा की जा चुकी है **(प्राप्ती रसीद संलग्न है)**।
3. **शर्त सं0-3** के अनुपालन में रू0 23,21,181.00 मात्र एन0पी0वी0 की धनराशि सम्बन्धित को... Number C.N. 43063576 Dated 3.11.2015 के द्वारा जमा की जा चुकी है **(रसीद की छायाप्र...**
4. **शर्त सं0-4** के अनुपालन हेतु प्रमाण पत्र संलग्न है।
5. **शर्त सं0-5** के अनुपालन में E-Pay order Number C.N. 43063576 Dated 3.11.2015 815307471700 का पुष्टि पत्र संलग्न है।
6. **शर्त सं0-6** के अनुपालन हेतु प्रमाण पत्र संलग्न है।
7. **शर्त सं0-7** से सम्बन्धित भू-वैज्ञानिकों का सुझावों का पालन कडाई से किया जायेगा।
8. **शर्त सं0-8** वन अधिकार अधिनियम के तहत आवश्यक अभिलेख प्रस्ताव पर संलग्न है।

अतः सैद्वान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों का बिन्दुवार अनुपालन आख्या तीन प्रतिय... प्रेषित कि सम्बन्धित मोटर मार्ग में विधिवत स्वीकृति प्रदान करने की संस्तुति की जाती है।

संलग्न- उपरोक्तानुसार

भवदीय

उप वन सं...
टौन्स वन प्रभा...

NEFT OUTGOING DETAILS ::

| NEFT OUTGOING MESSAGE DETAILS | |
|---|---|
| SBI REFERENCE NO. | SBIN815307471700 |
| CREATION TIME | 03/11/2015 12:28:07 |
| SENDER IFSC CODE | SBIN0003293 |
| SENDER ACCOUNT NO. | 00003199304000009 |
| SENDER DETAILS | DIRECTOR TREASURIES AND FINNACE SER<br>23 LAXMI ROAD DALANWALA<br>DEHRADUN UTTARAKHAND<br>248001 |
| RECEIVER IFSC CODE | CORP0000371 |
| RECEIVER ACCOUNT NO. | 037100101025229 |
| BENEFICIARY DETAILS | compensatory afforestation fund<br>123456789<br>null<br>N.A. |
| AMOUNT(Rs.) | 4116729 |
| REMITTANCE ORIGINATOR | |
| REMITTANCE INFO. | /ATTN//INB //03 NOV 15 CO4101186511150002 OP41 |
| SENDER A/C TYPE | - |
| REMARKS | DELIVERED TO BENEFICIARY BANK ✓ |
| RBI BATCH TIME AND DATE | 1400/03-NOV-15 |

भारतीय स्टेट बैंक
State Bank of India
With you - all the way

e-PayOrder Details

| | |
|---|---|
| e-PayOrder Number | CN43063576 |
| Debit Status | Success |
| Scheduled Time | 03-Nov-2015 [12:00 AM] IST |

03-Nov-2015

**Multiple Credits**

**Fifty Five Lakhs Fifteen Thousand Seven Hundred and Eighty Three only** **55,15,783.00**

**00000011808458655**

316208SFTPUSER
**Maker**

kishori bhatt
**Authorizer 1**

**PUROLA**

**"CN43063576"**

**410103111596792**

| | |
|---|---|
| Counterfoil Description | E41011103111535140 |
| Transaction Type | NEFT Funds transfer |

Debit Account Details

| Account No. | Branch | Amount |
|---|---|---|
| 00000011808458655 | PUROLA | 55,15,783.00 |

Credit Account Details

| Beneficiary Name/Account No. | Bank/Branch/IFSCCode | Amount | Credit Status | UTR No. |
|---|---|---|---|---|
| Compensatory Afforestation Fund (CAF) Uttaranchal/037100101025229 | NEW DELHI LODHI COMPLEX/CORPORATION BANK/CORP0000371 | 41,16,729.00 | Pending | SBIN815307471700 |
| Compensatory Afforestation Fund (CAF) Uttaranchal/037100101025229 | NEW DELHI LODHI COMPLEX/CORPORATION BANK/CORP0000371 | 13,99,054.00 | Pending | SBIN815307471721 |

Ex Engr

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लोक निर्माण विभाग, पुरोला (उत्तरकाशी)
E-Mail – eepwdpurola@rediffmail.com

पत्रांक 2143/वनभूमि                                        दिनांक 8/12/2015

सेवामें,

प्रभागीय वनाधिकारी
टौन्स वन प्रभाग,
पुरोला।

विषय :– जनपद उत्तरकाशी में किराणू धुनियारा थौरिण्डाधार मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 3.533 है0 वनभूमि में पड़ने वाले वृक्षों के छपान कटान के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ :– अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी उत्तराखण्ड देहरादून का पत्रांक 214/एफ0पी0/यू0के0/रोड़ /9756/2015 दिनांक 14 जुलाई 2015

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के अनुपालन में विषयक मोटर मार्ग में पडने वाली वनभूमि हेतु सैद्धन्तिक स्वीकृति वन एवं पर्यावरण अनुभाग–4 का पत्रांक 421/X–4–15/1(224)/2015 दिनांक 1 जुलाई 2015 के द्वारा प्रदान की जा चुकी है तथा नोडल अधिकारी वन विभाग देहरादून के उक्त सन्दर्भित पत्र द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति में लगाई गयी शर्तो का विभाग (प्रयोक्ता ऐजेन्सी) द्वारा समस्त औपचारिक्तायें पूर्ण की जा चुकी है, तथा अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण इंन्दिरानगर फारेस्ट कालोनी देहरादून द्वारा दी गयी शर्ते E Pay Order Number CN 43063576 dt. 3 Nov 2015(UTR No SBIN 815307471700) द्वारा पूर्ण कर दी गयी है (छाया प्रति संलग्न) मात्र वृक्षों का पातन किया जाना शेष है।

अतः अनुरोध है कि जनहित में मोटर मार्ग निर्माण हेतु समरेखण पर पडने वाले वृक्षों के पातन हेतु अपने स्तर से आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा करें

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

O/C

(ए0एस0 पंवार)
अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो0नि0वि0, पुरोला

पत्रांक 2143/वनभूमि                    तद्दिनांक          /     2015

प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी उत्तराखण्ड देहरादून को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि अपने स्तर से प्रभागीय वनाधिकारी टौन्स वन प्रभाग पुरोला को वृक्षों के पातन हेतु आदेश प्रदान करने की कृपा करें।
2. प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष लो0नि0वि0, उत्तराखण्ड देहरादून।
3. जिलाधिकारी उत्तरकाशी।
4. वन संरक्षक यमुनावृत देहरादून।
5. अधीक्षण अभियन्ता छठा वृत्त लो0नि0वि0, उत्तरकाशी।
6. उपजिलाधिकारी पुरोला।

O/C

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो0नि0वि0, पुरोला

# कार्यालय, उप वन संरक्षक, टौंस वन प्रभाग, पुरोला (उत्तरकाशी)

E-mail-dfo_tons@yahoo.co.in.Phone/Fax-01373-223328

पत्रांक 1162 /12–1 पुरोला, दिनांक 23 -1 -2016

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण फारेस्ट कॉलोनी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय :– जनपद उत्तरकाशी में किराणू, धुनियारा, थौरिण्डाधार मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 3.533है0 वन भूमि का गैरवानिकी कार्यों हेतु लो0नि0वि0 को प्रत्यावर्तन।

सन्दर्भ :– अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, पुरोला, उत्तराकाशी के पत्रांक सं0–2143/वन भूमि दिनांक 08.12.2015 व आपके कार्यालय का पत्रांक सं0–1792/FP/UK/ROAD/9756/2015 दिनांक 18.12.2015।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में अवगत करवाना है कि सम्बन्धित मोटर मार्ग से विषयक वन भूमि हस्तान्तरण की प्रक्रिया पूर्ण कर दी गयी है। आपके स्तर से प्रकरण को विधिवत स्वीकृति हेतु अपर सचिव वन एवं पर्यावरण अनुभाग–4 उत्तराखण्ड शासन को लिखा गया है। मोटर मार्ग के समरेखण में आने वाले वृक्षों का पातन होना शेष है। स्वीकृति की प्रत्याशा में कार्यदायी संस्था ने समरेखण में आने वाले वृक्षों के पातन की अनुमति हेतु लिखा गया है।

अतः इस सम्बन्ध में अनुरोध है कि अपने स्तर से आवश्यक दिशा निर्देश देने की कृपा करें।

भवदीय

उप वन संरक्षक,
टौन्स वन प्रभाग, पुरोला।

प्रतिलिपि :– अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड लो0नि0वि0, पुरोला को सूचनार्थ प्रेषित।

उप वन संरक्षक,
टौन्स वन प्रभाग, पुरोला।

**विषय :–** **जनपद उत्तरकाशी में किराणू धुनियारा थौरिण्डाधार मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 3.533 है0 वनभूमि का गैरवानिकी कार्यो हेतु लो0नि0वि0, को प्रत्यावर्तन।**

**प्रमाण पत्र**

प्रमाणित किया जाता है कि एन0पी0वी0 की दरों में यदि भविष्य में बढोत्तरी होती है तो बढी हुयी दरों से प्रयोक्ता ऐजेन्सी लो0नि0वि0, पुरोला द्वारा धनराशि जमा कर दी जायेगी।

05/11/15

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो0नि0वि0, पुरोला

**विषय :–** **जनपद उत्तरकाशी में किराणू धुनियारा थौरिण्डाधार मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 3.533 है0 वनभूमि का गैरवानिकी कार्यो हेतु लो0नि0वि0, को प्रत्यावर्तन।**

**प्रमाण पत्र**

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद कार्यबल की संस्तुतियों एवं भू: वैज्ञानिक द्वारा दिये गये सुझावों का मार्ग निर्माण के समय कडाई से अनुपालन किया जायेगा।

05/11/15

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो0नि0वि0, पुरोला

51— [illegible]

| | |
|---|---|
| 1 | 0.083 |
| 3 | 0.081 |
| 5 | 0.056 |
| 8 | 0.048 |
| 16 | 0.010 |
| x | x |
| x | x |
| 4451 | 0.008 |
| 4460 | 10.151 |
| 4471 | 0.065 |
| x | x |
| x | x |
| 4493 | 0.003 |
| 4496 | 11.073 |
| 4498 | 0.021 |
| x | x |
| x | x |
| 876 | 0.005 |
| 3720 | 1.035 |
| 3818 | 2.146 |
| 5284 | 0.003 |

[illegible]

## :: आदेश ::

अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड लोक निर्माण विभाग, पुरोला ने अपने पत्र संख्या 1464/वनभूमि दिनांक 21.08.2015 के द्वारा अवगत कराया गया है, कि जनपद उत्तरकाशी के तहसील मोरी में किराणू धुनियारा, थौरिण्डाधार मोटर मार्ग 4.450 किमी0 के निर्माण हेतु 3.533 है0 वनभूमि की सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या-1 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 7.066 है0 सिविल सोयम भूमि वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने का अनुरोध किया गया है ।

**शासनादेश संख्या 397/XVIII(II)/2012** दिनांक 29 फरवरी, 2012 के अनुसार वन भूमि हस्तान्तरण के मामलों में अब उतनी भूमि दी जानी है जितनी वन भूमि योजनाओं के लिए प्राप्त की जायेगी । उक्त शासनादेश में यह भी उल्लेख किया गया है, कि ऐसी परियोजनाओं के लिए जिनमें भारत सरकार द्वारा बर्ष 2009 के बाद सैद्धान्तिक अथवा अंतिम स्वीकृति इस शर्त के साथ निर्गत की गयी है, कि क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण दोगुने अवनत गैर जमीदारी विनाश (सिविल सोयम भूमि) पर किया जाएगा तथा भारत सरकार को वर्तमान तक प्रेषित किये जा चुके ऐसे प्रस्ताव जिसमें दोगुनी अवनत वन भूमि पर क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण की योजना के साथ वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव भेजा गया है। उनके लिये किये प्रस्ताव के अनुरूप ही दोगुनी भूमि चिन्हित व हस्तान्तरित की जाय।

उपरोक्त के सम्बन्ध में तहसीलदार मोरी द्वारा अपने पत्र संख्या [illegible] वृक्षा0/2015 दिनांक 15 अक्टूबर, 2015 जो उप जिलाधिकारी पुरोला के माध्यम से इस कार्यालय को प्रेषित किया के द्वारा अवगत कराया गया है, कि किराणू धुनियारा थौरिण्डाधार मोटर मार्ग में अर्जित भूमि के बदले क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु उत्तराखण्ड सरकार के स्वामित्व की वर्ग-9(3) ड. भूमि की भूमि ग्राम किराणू में खसरा नम्बर 4460 रक्वा 10.151 है0 भूमि का चयन किया गया तथा चयनित भूमि का नक्शा, खसरा एवं खतौनी इस कार्यालय को प्रेषित की गयी है ।

अतः तहसीलदार मोरी द्वारा प्राप्त प्रस्ताव के अनुसार ग्राम किराणू तहसील मोरी में खाता संख्या 51 में खसरा संख्या 4460 म0 रक्वा 7.066 है0 भूमि नॉन ज्यड.ए. उत्तराखण्ड सरकार के स्वामित्व की वर्ग 9(3) ड. की भूमि उत्तराखण्ड शासन, वन एवं पर्यावरण अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या 421/X-4-15/1(224)/2015 दिनांक 01 जुलाई, 2015 में शर्त संख्या [illegible] के अनुसार उक्त भूमि को हस्तान्तरित/नामान्तरित किये जाने स्वीकृति एतद्द्वारा प्रदान की जाती है ।

( विनय शंकर पाण्डेय )
जिलाधिकारी,
उत्तरकाशी ।

## कार्यालय जिलाधिकारी, उत्तरकाशी ।

संख्या [illegible] /आठ- [illegible] (2014-15) दिनांक [illegible] अक्टूबर, 2015

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1- उप जिलाधिकारी, पुरोला ।
2- तहसीलदार, मोरी ।
3- अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड लो0नि0वि0, पुरोला ।
4- प्रभागीय वनाधिकारी, टौन्स वन प्रभाग, पुरोला ।